सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2018 को 11.00 बजे पूर्वाहन, में पेट्रोल पम्पो पर प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने के सम्बन्धित बैठक में कार्यवाही –

1. सर्वप्रथम सचिव, परिवहन विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश एवं सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0– RT–11021/47/2014-MVLK आलोक में सभी पेट्रोल पम्पो पर प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही सचिव द्वारा यह भी उल्लेख किया कि पहले राज्य के शहरी क्षेत्रो में स्थापित पेट्रोल पम्पो पर एक माह के अन्दर प्रदूषण जाँच केन्द्र खोला जाना अत्यावश्यक है। इस हेतु पेट्रोल कम्पनियो के प्रतिनिधियों से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की गई।

(1) सचिव द्वारा वर्त्तमान में पेट्रोल पम्पो पर सचांलित प्रदूषण जाँच केन्द्रों की संख्या की जानकारी ली गई । पेट्रोल पम्पो की संख्या एवं कितने पर प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित है इसकी जानकारी ली गयी।

(2) कम्पनी के प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत कम पेट्रोल पम्पो पर ही सम्प्रति प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित है। पटना नगरीय क्षेत्र में 55 पेट्रोल पम्पों में से केवल 6 पेट्रोल पम्पो पर ही प्रदूषण जाँच केन्द्र संचालीत होने का सुचना दी गई है।

(3) सचिव द्वारा इसे अपर्याप्त मानते हुए एक माह के अन्दर पेट्रोल पम्पो पर प्रदूषण जाँच केन्द्र की आवश्यकता बताई गई।

(4) प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने को प्रोत्साहित करने हेतु इनके स्वामियो को वर्त्तमान में प्राप्त हो रहे शुल्क को बढाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(5) सचिव द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि पेट्रोल पम्पो पर प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर कम से कम समय में उन्हे अनुज्ञप्ति निगत्त किए जाए । राज्य परिवहन आयुक्त इसकी दैनिक अनुश्रवण करेंगे।

(6) पटना शहर के अतिरिक्त राज्य के अन्य शहर यथा मुजफ्फरपुर आदि में प्रदूषण स्तर में वृद्धि को देखते हुए भी पेट्रोल पम्पो पर प्रदूषण जाँच केन्द्रो की स्थापना को आवश्यकता बताया गया।

(7) राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा यह विकल्प भी सुझाया गया कि पेट्रोल पम्पो पर चूकि पर्याप्त स्थल/स्थान उपलब्ध रहता है अतः प्रदूषण जाँच केन्द्र खोलने हेतु इच्छुक व्यक्ति से वहाँ प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिए आपसी समझौता किया जा सकता है।

(8) प्रतिनिधियों द्वारा प्रदूषण जाँच केन्द्रों के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु वांछित तकनीकी कर्मी की योग्यता मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/आटोमोबाईल में डिग्री/डिप्लोमा की उपलब्धता कम होने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तथा अनुरोध किया गया कि इस कठिनाई को दूर करने हेतु नियमावली में संशोधन की आवश्यकता होगी और प्रदूषण जाँच केन्द्रों के लिए आई0 टी0 आई योग्यताधारी कर्मियों को भी सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

Phone No.:- 0612-2546449, Fax :- 0612-2546212, E-mail :- transecy-bih@nic.in

(9) सचिव द्वारा पेट्रोल कम्पनियो के प्रतिनिधियो से यह अपेक्षा की गई कि वे वर्त्तमान में वैसे पेट्रोल पम्पो की संख्या के सम्बन्ध में प्रतिवेदित करे जहाँ वर्त्तमान में प्रदूषण जाँच केन्द्र संचालित है, एवम् जहाँ निकट भविष्य में इसके खोले जाने की सम्भावना है। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रदूषण जाँच केन्द्रो की सूची उपलब्ध करायी जा सके।

(10) राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पेट्रोल पम्पो पर प्रदूषण केन्द्रो की स्थापना की सप्ताहिक समीक्षा की जाएगी ।

(11) शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए की नियमित जाँच अभियान चलाया जाएगा।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1438 पटना, दिनांक :– 27·02·18

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (मुख्यालय), परिवहन विभाग, बिहार, पटना/शैलेन्द्र कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड/प्रवीण मिश्रा, उप महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड/संजीव कुमार, उप प्रबंधक, एसार ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड/राजीव जयसवाल, बिहार स्टेट हेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड/तेजन्द्र सिंह हूरा, बिक्री एवं संचालक प्रबंधक, रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Phone No.:- 0612-2546449, Fax :- 0612-2546212, E-mail :- transecy-bih@nic.in